बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–08/अ0प्र0–07–08/2023 383 /पटना, दिनांकः– 15.7.25

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–26.06.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–4685 दिनांक–25.06.2003 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, 2010, पत्रांक–5152 दिनांक–21.05.2013, विभागीय पत्रांक–12402 दिनांक–13.12.2018, वित्त विभागीय परिपत्र सं0–4862, दिनांक–29.04.2025 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन0आर0ई0पी0 स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–07 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0)की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	कर्मचारियो का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृति की तिथि	योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय वित्तीय उन्नयन	स्कीनिंग समिति का निर्णय/अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कृष्णा सिंह/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल, कैमूर	07.01.1955/ 31.01.2015	18.05.1984	वित्त विभागीय परिपत्र सं0–4862, दिनांक–29.04.2025 द्वारा राज्य सरकार के मुफिफसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में ।	प्रथम ए0सी0पी0, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0	1. दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान–5000–8000/–में स्वीकृत। 2. दिनांक–18.05.2008 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800/– ग्रेड पे0–4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक–18.05.2014 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800/–ग्रेड पे0–4800 में स्वीकृत।
2	श्री हरख बैठा/सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/अधीक्षण अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, कार्य अंचल, सहरसा।	15.11.1957/ 30.11.2017	20.03.1984	20.03.1987	दिनांक–24.03.2013 की तिथि से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतनमान–5200–20200/– ग्रेड पे0–2800 में स्वीकृत।	1. दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान–5000–8000/–में स्वीकृत। 2. दिनांक–20.03.2008 के प्रभाव से द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800/– ग्रेड पे0–4600 में स्वीकृत। 3. दिनांक–20.03.2014 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800/–ग्रेड पे0–4800 में स्वीकृत।

(Rina), Office Order

3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य गामला आदि, जो ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम–8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट–01 के नियम–04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

7. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मी को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 15/7/25
(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–07–08/2023 7682 /पटना, दिनांकः– 15-7-25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा–03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/7/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–07–08/2023 7682 /पटना, दिनांकः– 15-7-25

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/7/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–07–08/2023 7682 /पटना, दिनांकः– 15-7-25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/7/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–07–08/2023 7682 /पटना, दिनांकः– 15-7-25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/7/25
अभियंता प्रमुख